भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 559
गुरूवार, 21 **जुलाई, 2022/30 आषाढ़**, **1944 (शक)**

महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर

559. श्री राजमणि पटेलः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः
श्री सैयद नासिर हुसैनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2017 से अब तक देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की वर्ष-वार श्रम शक्ति भागीदारी दर कितनी है;

(ख) वर्ष 2017-18 और वर्ष 2021-22 के बीच कार्यबल छोड़ने वाली महिलाओं की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान महिलाओं में कुल बेरोजगारी दर कितनी रही है;

(घ) कोविड-19 महामारी के बाद विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महिला श्रम शक्ति भागीदारी में कमी होने के कारण सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानतः कितना नुकसान हुआ है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। अगले वर्ष सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से जून है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टें के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु का वर्ष-वार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनुमानित महिला श्रम बल भागीदारी दर निम्नानुसार हैः

वर्ष	महिला श्रम बल भागीदारी दर (% में)
ग्रामीण	
2017-18	24.6
2018-19	26.4
2019-20	33.0
2020-21	36.5
शहरी	
2017-18	20.4
2018-19	20.4
2019-20	23.3
2020-21	23.2
अखिल भारत	
2017-18	23.3
2018-19	24.5
2019-20	30.0
2020-21	32.5

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

(ख) से (ङ): उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टें के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), और बेरोजगारी दर (यूआर) नीचे दी गई है:

वर्ष	कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) **(% में)**	बेरोजगारी दर (यूआर) **(% में)**
अखिल भारत		
2017-18	22.0	5.6
2018-19	23.3	5.1
2019-20	28.7	4.2
2020-21	31.4	3.5

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका के आंकड़े दर्शाते हैं कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान महिला कामगार जनसंख्या में वृद्धि हुई है और दूसरी ओर, इसी अवधि के लिए महिला बेरोजगारी दर में गिरावट आई है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्य सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

मजदूरी संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में, समान कार्य या समान प्रकृति के कार्यों इसके सिवाय कि जहां इस तरह के कार्यों में महिलाओं का रोजगार, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****